न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़

(प्रथम अपील अधिकारी अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005)
पीठासीन अधिकारी : कल्पना अग्रवाल, आई.ए.एस.

प्र.सं. 10/2023
जी.सी.एस.एस. नं. : 2023/20

एडवोकेट शिव कुमार आचार्य, कोर्ट परिसर, अनूपगढ़

—अपीलार्थी

बनाम

तहसीलदार श्रीविजयनगर

—प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम

—:: निर्णय ::—

दिनांक : 17.11.2023

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपील प्रकरण न्यायालय जिला कलक्टर श्रीगंगानगर से हस्तांतरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त होने पर अपील दर्ज रजिस्टर की गई। अपीलार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया गया हैं कि दिनांक 11.11.2022 को एक प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार के अन्तर्गत तहसीलदार श्रीविजयनगर को प्रस्तुत कर कुछ सूचनाएं चाही गई थी जो आज दिनांक तक तहसीलदार श्रीविजयनगर द्वारा उपलब्ध नहीं करवाई गई हैं। जिससे व्यथित होकर अपील पेश की जा रही हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम के धारा 6(3) के अन्तर्गत यदि पत्र संबंधित विभाग से संबंधित विभाग की जिम्मेवारी बनती है कि वह संबंधित विभाग को मूल ही प्रार्थना पत्र प्रेषित कर इसकी जानकारी प्रार्थी को उपलब्ध करवायें। अतः सूचना विभाग से संबंधित नहीं होने पर 5 दिवस में संबंधित विभाग को अन्तरित कर आवेदक को सूचना उपलब्ध करवाने हेतु निवेदन किया।

प्रकरण में तहसीलदार श्रीविजयनगर से प्राप्त टिप्पणी क्रमांक/702 दिनांक 27.06.2023 के अनुसार अपीलार्थी द्वारा दिनांक 11.11.2022 का प्रार्थना पत्र कार्यालय को दिनांक 15.11.2022 को प्राप्त हुआ। जिसकी सूचना कार्यालय के पत्रांक 977 दिनांक 07.12.2022 द्वारा अपीलार्थी को दी जा चुकी हैं। अपीलार्थी को उक्त सूचना समयावधि की अवधारणा के अनुरूप प्रदान की गई हैं। अपीलार्थी को सूचना भिजवाने के उपरान्त भी अपील करना अधिनियम की मंशा के विरूद्ध एवं सारहीन हैं। अपील काबिल खारिज बनती हैं।

पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा तहसीलदार श्रीविजयनगर के समक्ष सूचना का अधिकार के तहत निम्नलिखित सूचना उपलब्ध करवाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया :—

"दिनांक 27.09.2022 को एक प्रार्थना पत्र मदनसिंह पुत्र भंवर सिंह जाति राजपूत निवासी 13 ए एस(भागसर) द्वारा प्रस्तुत कर निवेदन किया गया था कि राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.02.2022 का इन्तकाल निरस्त कर न्यायालय राजस्व मण्डल, अजमेर के निर्णय दिनांक 09.09.2022 के अनुसार दर्ज करने बाबत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था।(प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपि संलग्न है) के संदर्भ में सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत निम्न सूचनाएं प्रदान करने का कष्ट करें

(1) उपरोक्त प्रार्थना पत्र पर आपके द्वारा जो निर्णय/आदेश/कार्यवाही की गई है, की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करवाने का कष्ट करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpana Agrawal
Date: 2024.01.06 14:44:46 IST
Reason: SelfAttested

लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार श्रीविजयनगर द्वारा अपने पत्रांक 977 दिनांक 07.12.2022 के द्वारा अपीलार्थी/आवेदक को निम्न सूचना उपलब्ध करवाई गयी :—

"आप द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत चाही गई सूचना पत्र के संलग्न कर भिजवाई जा रही हैं।"

जिला कलक्टर
अनूपगढ़

पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा निवेदन किया गया हैं कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करवायी गयी हैं, लेकिन पत्रावली का अवलोकन करने पर स्पष्ट हैं कि तहसीलदार श्रीविजयनगर द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित समयावधि में अपीलार्थी/आवेदक को वांछित सूचना उपलब्ध करवा दी हैं। अतः अपील प्रस्तुत करने का कोई आधार नहीं होने से अपील सारहीन एवं खारिज योग्य हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी खारिज की जाती हैं। निर्णय की प्रति तहसीलदार श्रीविजयनगर को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 17.11.2023 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कल्पना अग्रवाल)
I.A.S
जिला कलक्टर
अनूपगढ़

जिला कलक्टर
अनूपगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalpana Agrawal
Date: 2024.01.06 14:24:46 IST
Reason: SelfAttested